न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आइ0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 08/2024

अपीलांटगण–

1. भोमाराम पुत्र कुम्भाराम
2. केसाराम पुत्र कुम्भाराम
3. फुलीदेव पत्नी कुम्भाराम
4. खेतुदेवी पत्नी मोडाराम
5. मूलाराम पुत्र मोडाराम
6. विरधाराम पुत्र मोडाराम
7. शेराराम पुत्र मोडाराम
8. डालूराम पुत्र थानाराम
9. देवाराम पुत्र थानाराम
10. लिखमाराम पुत्र थानाराम

जातियान जाट, निवासीयान देराजोणी सांइयों की ढाणी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/भू.अ./2015/100 दिनांक 28.05.2015 जो अभियान प्रशासन आपके संग शिविर पांयला खुर्द के दौरान तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री जोगाराम पोटलिया, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 29.05.2024

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक/भू.अ./2015/100 दिनांक 28.05.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 07.03.2024 को पेश की गई है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा लूणाकला, पटवार मण्डल पायला खुर्द, तहसील सिणधरी के खेत खसरा नंबर 24,153, 235/153 रकबा 389.15 बीघा के खातेदारान अपीलांटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.05.2015 को तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/भू.अ./2015/100 दिनांक 28.05.2015 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.03.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांटगण की पैतृक भुमि उक्त खसरान मौजा लूणाकला, तहसील सिणधरी में अवस्थित है। अपीलांटगण को विरासत में प्राप्त हुई है, जो संयुक्त खातेदारी की थी। प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2015 में शिविर स्थल पर रेस्पोडेंट संख्या 1 ने जो अपीलांटगण के सहखातेदार व परिवार के सदस्य को संयुक्त खातेदारी का विभाजन कराने को कहा, जिस पर पटवारी हल्का से सलाह की तो उसने भी बताया कि आप संयुक्त रूप से विभाजन पेश कर दो तो हाथो हाथ विभाजन हो जावे, एवं मौके की स्थित हेतु नक्शा शिविर में ही तैयार कर तथा लठा ट्रेस में तरमीम मौके पर आकर बाद में पैमाईश कर दी जावेगी। इसके बाद पटवारी ने आवेदन तैयार कर उस पर अपीलांटगण का निशान अंगुष्ट करावाये। इसके बाद विभाजन का आदेश कब पारित हुआ तथा राजस्व रेकर्ड में कब अंकन हुआ इसकी अपीलांटगण को कोई जानकारी नहीं हुई। उक्त खसरान को सभी पक्षों के मौके पर पूर्व में आपसी सहमति से किये विभाजन अनुसार काश्त करते है, जबकि इस अपीलाधीन विभाजन आदेश से उक्त खसरों में जो अपने मौके से विपरित दिशा में तरमीन होने से विभाजन बेमेल हो गया। अपीलांट की आवासीय ढाणी जो वर्षों से बनी हुई है वह ढाणी

जिला कलक्टर
बालोतरा

वाला भाग सह खातेदार अपीलांटगण के हिस्से में देकर भारी भूल की है, जबकि विभाजन पक्षकारान के वास्तविक कब्जे में कम से कम परिवर्तन हो इस प्रकार विभाजन होना चाहिए। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त योग्य है।

5. अपीलांटगण के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी का बंटवाड़ा आदेश मौके पर कब्जा–काश्त के विपरीत पारित किया गया, जिसके कारण खसरा नंबर 24,153, 235/153 रकबा 389.15 के समस्त पक्षकारान के रहवासी ढाणियां और पानी के टांके आदि एक दुसरे के अपीलांटगण के कब्जे में आ रही है, इस हेतु अपीलांटगण के आपस में विवाद पैदा हो रहा है एवं पक्षकारान को अपूरणीय क्षति हो रही है। इस हेतु समस्त अपीलांटगण की सहमती पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित विभाजन आदेश क्रमांक भू.अ./2015/100 दिनांक 28.05.2015 को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त माफिक बंटवाड़ा पुनः करवाना चाहते है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 से आलोच्य मूल अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया गया।

7. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा लूणाकला, पटवार मण्डल पायला खुर्द, तहसील सिणधरी के खेत खसरा नंबर 24,153, 235/153 रकबा 389.15 खातेदारान अपीलांटगण द्वारा तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/भू.अ./2015/22 दिनांक 28.05.2015 को पारित किया गया। चूंकि पक्षकारान की मुख्य आपत्ति है, कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है एवं पक्षकारान को अपुर्णीय क्षति हो रही है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें। उक्त अपीलाधीन भूमि के संबंध में पक्षकारान के सहमति

जिला कलक्टर
बालोतरा

के आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त स्थिति अनुसार पुनः बंटवाड़े हेतु रजामंद है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक/भू.अ./2015/100 दिनांक 28.05.2015 को अपास्त किया जाता है। लिहाजा प्रकरण तहसीलदार सिणधरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलेक्टर, बालोतरा
बालोतरा